[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं 25/2017-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख. 28 अगस्त, 2017.

सा.का.नि...(अ).- आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 के साथ पठित धारा 39 की उप-धारा (6) और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 14 तथा केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 64 में निर्दिष्ट अकराधेय ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता को भारत से बाहर किसी स्थान से ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनः प्राप्य सेवाओं का प्रदाय करने वाले व्यक्ति द्वारा जुलाई मास, 2017 के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की समय-सीमा का विस्तार 15 सितम्बर, 2017 तक करते हैं ।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 349/74/2017-जीएसटी(पीटी.)]

(डॉ. श्रीपार्वती एस.एल.)

अवर सचिव, भारत सरकार